बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना

सं0सं0–9 / आ0–02–27 / 2020(स्वा0) ..... / पटना, दिनांकः–.....

डा0 विपीन बिहारी शर्मा, तत्कालीन प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, अतरी, गया सम्प्रति सेवानिवृत्त के विरूद्ध वित्तीय वर्ष 2016–17 में जेनरेटर संचालक को कुल 1,37,632/– अधिक भुगतान करने के आरोप में विभागीय अधिसूचना सं0–984(9) दिनांक–18.11.2021 द्वारा असंचयात्मक प्रभाव से 02(दो) वार्षिक वेतन वृद्धि पर रोक की शास्ति अधिरोपित एवं संसूचित की गयी।

2. वित्त (वै0दा0नि0को0)विभाग, बिहार के पत्रांक–548(25) दिनांक–12.03.2025 द्वारा सूचित किया गया कि दंड के कुप्रभाव अवधि में ही दिनांक–29.02.2024 को डा0 शर्मा वार्द्धक्य सेवानिवृत्त हो चुके हैं। दंड के कुप्रभाव अवधि में ही सेवानिवृत्त होने के कारण दिनांक–01.07.2021 के मूल वेतन पर ही डॉ0 शर्मा का सेवा इतिहास एवं प्राधिकार–पत्र निर्गत किया गया है। उनके विरूद्ध अधिरोपित दंड पर पुर्नसमीक्षा एवं संशोधन की कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया।

3. सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार द्वारा परामर्शित किया गया कि डॉ0 शर्मा के विरूद्ध अधिरोपित दण्डादेश का पुनरीक्षण कर प्रतिस्थानी दण्डादेश निर्गत किया जाना उपयुक्त होगा। पुनरीक्षण के फलस्वरूप निर्गत प्रतिस्थानी दण्डादेश उसी तिथि से प्रभावी होगा, जिस तिथि से मूल दण्डादेश निर्गत किया गया। प्रतिस्थानी दण्डादेश में इस आशय की स्पष्ट प्रविष्टि कर दिया जाएगा।

4. अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा डा0 शर्मा के विरूद्ध अधिरोपित दण्ड का बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–28 के अधीन अधिरोपित दण्ड पर पुनरीक्षण किया गया। अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा डा0 शर्मा के विरूद्ध वित्तीय वर्ष–2016–17 में जेनरेटर संचालक को कुल–1,37,632/– अधिक भुगतान करने के आरोप मे विभागीय अधिसूचना सं0–984(9) दिनांक–18.11.2021 द्वारा असंचययात्मक प्रभाव से 02(दो) वार्षिक वेतन वृद्धि पर रोक की शास्ति अधिरोपित एवं संसूचित दण्ड को पुनरीक्षित करते हुए असंचयात्मक प्रभाव 01(एक) वार्षिक वेतन वृद्धि पर रोक की शास्ति अधिरोपित करने एवं यह दण्ड मूल आदेश निर्गत की तिथि से प्रभावी होने का विनिश्चिय किया गया है।

5. अतः डा0 विपीन बिहारी शर्मा, तत्कालीन प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, अतरी, गया के विरूद्ध विभागीय अधिसूचना सं0–984(9) दिनांक–18 11.2021 द्वारा अधिरोपित एवं संसूचित असंचयात्मक प्रभाव से 02(दो) वार्षिक वेतन वृद्धि पर रोक की शास्ति को पुनरीक्षित करते हुए उक्त दण्ड को मूल अधिसूचना निर्गत की तिथि दिनांक–18.11.2021 से असंचयात्मक प्रभाव से 01(एक) वार्षिक वेतन वृद्धि पर रोक की शास्ति अधिरोपित एवं संसूचित किया जाता है।

6. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से
ह0/–
(उपेन्द्र राम)
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांकः–9 / आ0–02–27 / 2020(स्वा0) 1381(9A) **/ पटना, दिनांकः–** 28.09.26

प्रतिलिपिः–महालेखाकार, (ले0 एवं ह0) बिहार पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै0 दा0 नि0 को0) विभाग, बिहार, पटना/जिला पदाधिकारी, गया/कोषागार पदाधिकारी, गया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

28/09/26

(15)

प्रतिलिपिः—क्षेत्रीय अपर—निदेशक, स्वास्थ्य सेवायें, मगध प्रमंडल, गया/सिविल सर्जन, गया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।।

प्रतिलिपिः—डा0 विपीन बिहारी शर्मा, तत्कालीन प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, अतरी, गया सम्प्रति सेवानिवृत्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः—माननीय मंत्री के आप्त सचिव/सचिव, स्वास्थ्य के प्रधान आप्त सचिव/विशेष सचिव, स्वास्थ्य विभाग/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाऐं, बिहार, पटना के निजी सहायक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः—प्रशाखा पदाधिकारी 2, 3, 7, 8, 10, 17 एवं 18A को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः—आई0टी0 मैनेजर, स्वा0 विभाग को विभागीय वेबसाइट में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

23/09/2014

सरकार के अवर सचिव।